



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938

No. 336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ.371(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीपीडीएस कहा गया है) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएफएसए कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को लागू करने तथा उक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन जारी खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियम, 2015 के नकद अंतरण करने से अंतर्वर्तित व्यय भारत की संचित निधि से प्रोद्भूत होंगे;

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(1) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने के पात्र और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी वैध राशन कार्ड रखने वाली सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे। कोई नए पात्र हितग्राही जो एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य के नकद अंतरण राजसहायता को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चुना गया है से भी यह अपेक्षित है कि वह अनुवर्ती खंड में यथा वर्णित आधार संख्यांक को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें।

(2) एनएफएसए के अधीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र हितग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, लेकिन राजसहायता प्राप्त अनाज या एनएफएसए के अधीन राजसहायता के नकद अंतरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं से अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कर दे, परंतु उक्त अधिनियम धारा 5 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केन्द्र (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची पर उपलब्ध है) पर जाकर आधार के लिए नामांकन करा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन खाद्य विभाग जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव का आधार देने की अपेक्षा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केन्द्र क्रमशः ब्लॉक, ताल्लुक, तहसील में अवस्थित नहीं है की दशा में, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन खाद्य विभाग द्वारा यूआईडीएआई या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

परंतु यह कि एनएफएसए के अधीन जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुनेदित किया जाता है तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अध्यक्षीन राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी; अर्थातः--

(क) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड

(ख) (i) जबकि वह नामांकित है, उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप या

(ii) पैरा 2 में उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (iv) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या (x) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज: परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. फायदाग्राहियों को एनएफएसए के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध राजसहायता प्राप्त अनाज देना या खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण उपलब्ध कराने के लिए या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थातः--

(1) जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, मीडिया से विस्तृत प्रचार और जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या सस्ते गल्ले की दुकान आदि के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं हैं तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए नामांकन कराएं। स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, खाद्य विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर यूआईडीएआई या विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के सहयोग में या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य व्यौरें, उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से या अपनी सभी गल्ले की दुकानों से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी।

4. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पात्र परिवार के व्यष्टिक हितग्राही द्वारा दिए आधार संख्यांक को रखने के सबूत की रसीद से तीस दिन में ऐसे परिवार को जारी राशन कार्ड या खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण के लिए बैंक के खाते से आधार संख्यांक लिंक करेगी।

5. ऊपर पैरा में किसी बात के होते हुए भी परिवार में ऐसे सभी सदस्यों को आधार संख्यांक अनुदेशित न होने की दशा में पात्र राशनकार्ड में सूचीबद्ध पात्र परिवार हकदार राजसहायता प्राप्त अनाज की समस्त मात्रा या एनएफएसए को समीप खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि परिवार का कोई संदाय राशन कार्ड के मध्यम की ऊपर खंडों में निर्दिष्ट दशओं में पूरा करता है।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food And Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2017

S.O. 371(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, implementation of relevant provisions of the National Food Security Act, 2013 (hereinafter referred to as NFSA), through Targeted Public Distribution System (hereinafter referred to as TPDS) and Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 issued under the said National Food Security Act, 2013, involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA and having valid Ration Cards issued by State Governments or Union Territory Administrations is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication. Any new eligible beneficiary who is selected by State Governments or Union Territory Administrations for receiving subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA is also required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication as stated in ensuing clauses.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, who do not possess the Aadhaar Number or, are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act. All such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the State or Union Territory Administration Food Department which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the State or Union Territory Food Department is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, subsidy or benefits under NFSA shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely :-

- (a) Ration Card issued by the State or Union Territory Administration Food Department; and
- (b) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2; and
- (c) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State/UT Food Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to beneficiaries, the State or Union Territory Administration Food Department shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the district food supply office or fair price shops, etc., shall be given to beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the

near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the State or Union Territory Food Department are required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the UIDAI or the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI registrar themselves and the beneficiaries of subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number with Ration Card number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their fair price shop owners or through the web portal provided for the purpose.

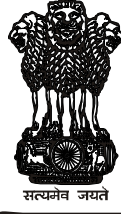
3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

4. The State Government or Union Territory Administration shall, within a period of thirty days from the receipt of proof of possession of Aadhaar number furnished by individual beneficiaries of the eligible household, link the Aadhaar number with the Ration Card issued to such household or with Bank Account for Cash Transfer of Food Subsidy.

5. Notwithstanding anything in above paragraphs, any member of eligible household listed in the Ration Card shall be entitled to receive the entire quantity of entitled subsidised food grains or Cash Transfer of Food Subsidy under NFSA, if any one member of the household in the Ration Card fulfils the identification conditions mentioned in above clauses, in case Aadhaar number is not yet assigned to all such members of the household.

[F.No. 9(2)/2016-PD II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 677]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 752(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 08.02.2017 के पृष्ठ 1 से 4 तक प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ), तारीख 08.02.2017 में :—

- I. पृष्ठ संख्या 1 पर 12 पंक्ति में उप बिन्दु (1) से पहले '1.' लगाएं।
- II. पृष्ठ संख्या 1 की सातवीं पंक्ति में तथा पैरा 1 (1) की चौथी पंक्ति में व पैरा 1 (2) की तीसरी पंक्ति में 'राजसहायता' के स्थान पर 'सहायकी' पढ़ें।
- III. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की प्रथम पंक्ति में, 1 (2) की प्रथम पंक्ति में तथा पृष्ठ संख्या 2 पर पैरा 1 (3) की सातवीं पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज या खाद्य राजसहायता' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य अनाज या खाद्य सहायकी' पढ़ें।
- IV. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की दूसरी पंक्ति में 'व्यक्तियों' के स्थान पर 'व्यैष्टिकों' पढ़ें।
- V. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (2) की दूसरी पंक्ति में 'नामांकित' के स्थान पर 'नामेकित' पढ़ें।
- VI. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (1) की तीसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज' के स्थान पर 'सहायकी प्राप्त खाद्य अनाज' तथा पैरा 1 (2) की दूसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज' के स्थान पर 'खाद्य अनाज सहायकी' पढ़ें।
- VII. पृष्ठ संख्या 1 पर पैरा 1 (2) की चौथी पंक्ति में 'अधिनियम धारा 5' के स्थान पर 'अधिनियम धारा 3' पढ़ें।
- VIII. पृष्ठ संख्या 1 के पैरा 1 (2) की अंतिम पंक्ति में '(www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची पर उपलब्ध है)' के स्थान पर '(www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची)' पढ़ें।

IX. पृष्ठ संख्या 1 के पैरा 1 (2) की चौथी पंक्ति में तथा पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 1 (3) की छठी पंक्ति में 'व्यक्ति' के स्थान पर क्रमशः 'व्यष्टि' तथा 'व्यष्टिक' पढ़ें।

X. पृष्ठ संख्या 2 पैरा 1 (3) के उपपैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को पढ़ा जाए:—

'(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आय-कर द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटरयान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पता पत्र जिस पर नाम एवं फोटो भी हो; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।'

XI. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (1) में पहली और दूसरी पंक्ति में 'सस्ते गल्ले' के स्थान पर 'उचित दर' पढ़ें।

XII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (1) में चौथी पंक्ति में 'आधार के लिए नामांकन कराएं' के स्थान पर 'आधार के लिए 30 जून 2017 तक नामांकन कराएं' पढ़ें।

XIII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 की पहली पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त अनाज देना या खाद्य राजसहायता का' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य अनाज देना या खाद्य सहायकी के' पढ़ें।

XIV. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 2 (2) में पाँचवी पंक्ति में 'गल्ले की' के स्थान पर 'उचित दर' पढ़ें।

XV. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 4 की पहली व दूसरी पंक्ति में तथा पैरा 5 की पहली, दूसरी व तीसरी पंक्ति में 'परिवार' के स्थान पर 'कुटुंब' पढ़ें।

XVI. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 5 की दूसरी पंक्ति में 'राजसहायता प्राप्त' के स्थान पर 'सहायकी खाद्य' पढ़ें तथा दूसरी पंक्ति में फिर से आए हुए 'राजसहायता' शब्द के स्थान पर 'सहायकी' पढ़ें।

XVII. पृष्ठ संख्या 2 के पैरा 5 की तीसरी पंक्ति में 'संदाय' के स्थान पर 'सदस्य' तथा 'दशओं' के स्थान पर 'दशाओं' पढ़ें।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव